भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2636

दिनांक 16 दिसम्बर 2025 / 25 अग्रहारण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

जमुई में आपदा संबंधी तैयारी

2636. श्री अरुण भारतीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के अंतर्गत जमुई जिले के लिए बाढ़ और आपदा प्रतिक्रिया संबंधी उपकरण खरीदने हेतु कितनी केंद्रीय निधि आवंटित की गई है;

(ख) जमुई जैसे जिलों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पूर्वी बिहार क्षेत्र में राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की एक स्थाई इकाई स्थापित करने की क्या योजना है;

(ग) जमुई निर्वाचन क्षेत्र के संवेदनशील ब्लाकों में स्थानीय नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों और आपदा मित्रों को प्रशिक्षित और संबंधित सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं में सुधार के लिए जमुई शहर में एक पूर्णतः कार्यशील अग्निशमन केंद्र स्थापित करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) जमुई में स्थानीय पंचायतों के माध्यम से आपदा संबंधी तैयारियों के संबंध में जन जागरुकता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति (NPDM) के अनुसार, आपदा प्रबंधन की मुख्य ज़िम्मेदारी, जिसमें ज़मीनी स्तर पर राहत सहायता देना भी शामिल है, संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा मंज़ूर की गई चीज़ों और नियमों के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं के बाद राहत उपाय करती हैं, जिसके लिए उनके पास पहले से ही राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) होता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2636, दिनांक 16.12.2025

प्रयासों में मदद करती है और ज़रूरी लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता देती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, तय प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (IMCT) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल होता है। SDRF और NDRF के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के तौर पर होती है, न कि हुए नुकसान के मुआवज़े के लिए। SDRF और NDRF के तहत बिहार समेत सभी राज्यों को दिए गए और जारी किए गए फंड की डिटेल्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट, https://ndmindia.mha.gov.in/ndmi/responsefund पर मौजूद है।

(ख) पूर्वी बिहार क्षेत्र में एक स्थायी, राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) यूनिट स्थापित करना राज्य का मामला है।

(ग) जमुई एक नोटिफाइड सिविल डिफेंस (CD) जिला नहीं है। इसलिए, जमुई जिले में कोई CD सेटअप मौजूद नहीं है।

देश में स्थानीय स्तर पर आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बेहतर बनाने के लिए, अक्टूबर 2021 में देश में 369.40 करोड़ रुपये के बजट के साथ आपदा मित्र योजना का विस्तार किया गया था। उस योजना के तहत जमुई उन जिलों में से एक था जहाँ 300 वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया था।

पिछली स्कीम 'अपस्केलिंग ऑफ आपदा मित्र स्कीम' (UAMS) की सीख और अनुभव के साथ, केंद्र सरकार ने एक और स्कीम शुरू की है जिसका नाम है 'युवा आपदा मित्र स्कीम' (YAMS)। इस स्कीम के तहत, जमुई जिले को भी शामिल किया गया है, जिसमें 300 राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC), 150 राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), 150 नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS) और 30 भारत स्काउट्स एंड गाइड्स (BS&G) वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) भारत के संविधान के अनुसार, अनुच्छेद 243 (W), अनुसूची XII, एंट्री नंबर 7 के तहत, फायर सर्विस का रखरखाव राज्यों में नगर पालिका का काम है और आग दुर्घटनाओं और अन्य आपात स्थितियों से जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना मुख्य रूप से राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है। गृह मंत्रालय के तहत डायरेक्टोरेट जनरल फायर सर्विस, सिविल डिफेंस और होम गार्ड, फायर सेफ्टी और सर्विस से जुड़े मामलों में सलाह देने वाली भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग की ग्रांट-इन-एड के तहत बिहार राज्य में फायर सर्विस के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 255.69 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें से 76.70 करोड़ रुपये 11 जून, 2025 को पहली किस्त के रूप में जारी किए गए हैं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2636, दिनांक 16.12.2025

(ङ): बिहार राज्य के लिए नवंबर, 2025 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को शामिल करने के लिए तैयारी और जन जागरूकता का काम किया गया। इसके अलावा, NIDM द्वारा नियमित रूप से राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा आपदा तैयारियों पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। NDMA 10 राज्यों के 50 जिलों में, जिसमें बिहार का जमुई जिला भी शामिल है, बिजली गिरने से सुरक्षा पर मिटिगेशन प्रोजेक्ट (MPLS) को लागू करने की प्रक्रिया में है। MPLS के तहत, जमुई की चार पंचायतें, जैसे (a) खैरा (निमनवाड़ा), (b) लक्ष्मीपुर (सुखासन), (c) जमुई सदर (हरला) और (d) गिद्धौर (रतनपुर) शामिल हैं। NDMA ने अगस्त-सितंबर के दौरान जमुई में पंचायत स्तर पर MPLS के तहत राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए ताकि बिजली गिरने के खतरे पर सामुदायिक तैयारी को बढ़ाया जा सके और बिजली गिरने से संबंधित जोखिमों को कम किया जा सके। जागरूकता गतिविधियों में स्कूल जागरूकता सत्र, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सामुदायिक पहुंच, क्विज़, LED-वैन अभियान, जमुई जिले की चार पंचायतों सहित प्रत्येक पंचायत में सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) सामग्री का वितरण शामिल था। छात्रों और समुदाय को सुरक्षा राजदूत के रूप में शामिल किया गया और उन्हें क्या करें और क्या न करें, सचेत और दामिनी ऐप के उपयोग और बिजली गिरने की घटनाओं से पहले, दौरान और बाद में आवश्यक सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक किया गया।

*****